78

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- ।२०१६ निगरानी निग - 2946 - I6

रामस्वरूप पुत्र प्रह्लाद मीणा,
निवासी- ग्राम पाण्डोला, तेहसील बड़ौदा,
जिला श्योपुरमध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन,
२- शांति पत्नी गोकुल,
३- गायत्री पत्नी छोटया,
निवासी गण ग्राम पाण्डोला, तेहसील बड़ौदा,
जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थीo

दिनांक 01-9-16 को श्री आर. के. जोवाली काउ० द्वारा प्रस्तुत।

1-9-16

निगरानी विरुध्द आदेश कलेक्टर महोदय, श्योपुर, दिनांक १०-८-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ५३।१०-११ स्वमैव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, वर्तमान प्रकरण में विवाद प्राईवेट पक्षकारों के मध्य था । तेहसील न्यायालय व्दारा पक्षकारों के स्वत्वों के सम्बन्ध में विधिवत जांच कर आदेश पारित किया है । कानूनन प्राईवेट पक्षकारों के विवाद के सम्बन्ध में स्वमैव निगरानी के अधिकारों का उपयोग किया जाना वांछित है । विशेष कर जब पक्षकारों के व्दारा ऐसे आदेश को किसी भी स्तर पर सक्षम न्यायालयमें चुनौती नहीं दी गई है । इस विधिक एवम् तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बिना पारित विवादितआज्ञा निरस्तीयोग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2946–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 53/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.8.16 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	